रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072026-274518
CG-DL-E-15072026-274518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948**
No. 553]	**NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948**

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 611(अ).— केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 188 की उपधारा (1) और (2) और धारा 192 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 195 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण से क्षति हेतु नागरिक दायित्व) नियम, 2008 को उन बातों से सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण से क्षति हेतु नागरिक दायित्व) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. लागू होना- जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे, -

(क) प्रत्येक भारतीय पोत, जहां कहीं भी वह हो; और

(ख) प्रत्येक पोत, भारतीय पोत से भिन्न, जब वह भारत में किसी पत्तन या स्थान पर है, जिसके अंतर्गत तटीय जल भी है

किंतु, यह युद्धपोतों, नौसेना सहायक या किसी राज्य की सरकार के स्वामित्व या संचालित अन्य पोतों पर लागू नहीं होगा, जिसका उपयोग तत्समय केवल गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "नागरिक दायित्व अभिसमय" का अर्थ है तेल प्रदूषण से क्षति पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दायित्व अभिसमय, 1992, यथा संशोधित अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न एक प्ररूप अभिप्रेत है; और

(घ) "टन भार" से सकल टन भार अभिप्रेत है, जिसकी गणना अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार की जाती है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

4. अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा- (1) प्रत्येक पोत का स्वामी, **माल के रूप में** दो हजार टन से अधिक तेल **भारी मात्रा** में ले जाने वाले पोतों के संबंध में अधिनियम की धारा 181 के अधीन विनिर्दिष्ट रकम के लिए प्रदूषण क्षति हेतु अपने दायित्व को कवर करने के लिए एक बीमाकर्ता से बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखेगा।

(2) माल के रूप में थोक में दो हजार टन तक तेल ले जाने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी ऐसे पोत के संबंध में, नागरिक दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट रकम के लिए प्रदूषण क्षति के लिए अपने दायित्व को कवर करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखेगा।

(3) प्रत्येक पोत, जिस पर उपनियम (1) या (2) लागू होते हैं, अधिनियम की धारा 188 के अधीन विनिर्दिष्ट दायित्व की सीमाओं से कम रकम के लिए बीमा का प्रमाण पत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखेगा।

5. बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन- (1) भारतीय पोत का स्वामी, जिसने अधिनियम की धारा 188 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार ऐसे पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखी है, बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करने या नवीनीकरण के लिए संबंद्ध समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रधान अधिकारी को, जहां ऐसा पोत रजिस्ट्रीकृत है, प्ररूप-क में आवेदन करेगा।

(2) भारतीय पोत से भिन्न किसी अन्य पोत का स्वामी या अभिकर्ता जो ऐसे देश में रजिस्ट्रीकृत है, जहां नागरिक दायित्व अभिसमय का पक्षकार नहीं है और जिसने ऐसे पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखी है, वह बीमा प्रमाण पत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करने या नवीनीकरण के लिए प्ररूप - क में महानिदेशक को आवेदन करेगा, जिसकी जांच महानिदेशक द्वारा जारी करने के लिए संबद्ध वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को भेजे जाने से पहले की जाएगी।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन में प्ररूप-क में विनिर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे और ऐसे बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य और नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट लागू फीस के संदाय की पुष्टि करने वाली रसीद भी साथ होगी।

6. बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करना -(1) नियम 5 के उप-नियम (1) या (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के बाद, संबंद्ध वाणिज्यिक समुद्री विभाग का प्रधान अधिकारी, संबद्ध पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव के संबंध में समाधन होने पर, प्ररूप-ख में विनिर्दिष्ट अनुसार बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) जहां प्रधान अधिकारी बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण-पत्र जारी करता है, वहां ऐसे प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां, जहां लागू हो, शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

(क) जहां वित्तीय सेरक्षा की कुल रकम एक से अधिक स्रोतों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वहां प्रत्येक द्वारा उपबंधित रकम को पृथक रूप से उपदर्शित किया जाएगा;

(ख) जहां वित्तीय सुरक्षा कई प्ररूपों में प्रस्तुत की जाती है, ऐसे प्ररूपों को प्रमाण पत्र में गिना जाएगा; और

(ग) वित्तीय सुरक्षा की अवधि, उस अवधि को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके लिए ऐसी बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा विधिमान्य है।

7. अनुलिपि प्रमाणपत्र - (1) जहां नियम 6 के अधीन जारी प्रमाण पत्र खो गया है, नष्ट हो गया है, चोरी हो गया है, विकृत हो गया है, विरूपित हो गया है या अपठनीय हो गया है, वहां यथास्थिति, स्वामी या अभिकर्ता, नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर एक अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, संबद्ध वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को प्ररूप - ग में आवेदन कर सकता है, जहां मूल प्रमाण पत्र जारी किया गया था ।

(2) जहां उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट खोया हुआ प्रमाण पत्र बाद में स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा खोजा या पाया जाता है, तो इसे वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को लौटा दिया जाएगा, जहां ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

(3) इस नियम के उपबंध इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर लागू नहीं होंगे।

8. अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया - (1) जहां इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र खो जाता है, नष्ट हो गया है, चोरी हो गया है, विकृत हो गया है, विरूपित हो गया है या अपठनीय हो गया है, वहां स्वामी या अभिकर्ता, यथास्थिति, बिना किसी देरी के संबद्ध वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को लिखित में इसकी सूचना देगा।

(2) प्रमाणपत्र खो जाने या नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, स्वामी या अभिकर्ता निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत या हानि रिपोर्ट दर्ज करेगा और उसकी एक प्रति संबद्ध वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) यथास्थिति, उप-नियम (1) या (2) के अधीन प्रस्तुत कोई भी रिपोर्ट, स्पष्ट रूप से पोत का ना*म और पोत की विशिष्टियां*, खोए हुए प्रमाण पत्र का प्रकार, नाम और संख्या, और ऐसी हानि की परिस्थितियों, तारीख और स्थान का कथन करेगी।

(4) प्रमाण पत्र के विरूपित या अपठनीय होने की स्थिति में, मूल प्रमाण पत्र संबद्ध वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को अभ्यर्पित किया जाएगा।

(5) उप-नियमों (1), (2) और (3) के अनुपालन के पश्चात, संबद्ध पोत का स्वामी या अभिकर्ता नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ एक अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है, और ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात्: -

(क) उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति; और

(ख) इस प्रभाव का एक वचनपत्र कि मूल प्रमाण पत्र के बाद में पता लगने या बरामद होने की स्थिति में, उसे संबंधित वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को अभ्यर्पित किया जाएगा।

(6) जहां संबद्ध पोत का स्वामी या अभिकर्ता उपनियम (1) या (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, यथास्थिति, ऐसा स्वामी या अभिकर्ता गुम हुए प्रमाण पत्र के किसी भी दुरुपयोग, कपटपूर्ण प्रतिनिधित्व या अनुचित उपयोग के लिए दायी रहेगा।

(7) इन नियमों के अधीन जारी किए गए अनुलिपि प्रमाण पत्र में मूल प्रमाण पत्र के समान विधिक शक्ति और विधिमान्यता होगी और इसमें एक अनुमोदित कथन होगा- " अनुलिपि *- मूल के गुम हो जाने के बदले जारी किया गया"।*

9. विदेशी निर्णयों के प्रवर्तन की प्रक्रिया - अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई भी निर्णय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार भारत में लागू होगा।

10. फीस- (1) नियम 5 के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ धारा 188 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार दस हजार रुपये की फीस भी साथ होगी।

(2) नियम 5 के अधीन बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ धारा 188 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार दस हजार रुपये की फीस भी साथ होगी।

(3) नियम 7 के अधीन अनुलिपि प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन, दो हजार रुपये की फीस का संदाय करने पर, स्वामी या अभिकर्ता को जारी किया जाएगा।

(4) इस नियम में उल्लिखित फीस में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित रकम से पुनरीक्षित किया जा सकता है।

11. खाते की इकाइयाँ- (1) नागरिक दायित्व अभिसमय में निर्दिष्ट खाते की इकाइयाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा परिभाषित विशेष आहरण अधिकार हैं।

(2) अधिनियम की धारा 182 के अधीन निधि के गठन की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित अनुसार विशेष आहरण अधिकार में लेखा इकाइयों को भारतीय रुपये में आधिकारिक मूल्य में रूपए के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा।

प्ररूप - क

(नियम 5 देखिए)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 188 के अधीन बनाए गए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्ररूप:

1. पोत का नाम:

2. विशिष्ट संख्या या अक्षर:

3. रजिस्ट्री का पत्तन:

4. स्वामी या अभिकर्ता का नाम और पता:

5. (i) सकल टन भार:
   (ii) शुद्ध टन भार:
   (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करें)

6. (क) अनुरक्षित बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा की विशिष्टियां:
   (बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

   (ख) विधिमान्यता की अवधि:
   (विधिमान्यता की अवधि दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

7. संदत्त फीस (रुपये में):
   (फीस के सफल संदाय को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तदनुसार बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करें।

मुझे स्वामी द्वारा यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है (किसी *अभिकर्ता की दशा में)।*

स्थान:

तारीख: आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

- *यदि लागू नहीं है तो काट दें।*
- *कोई भी विद्यमान या अवसनित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा*

प्ररूप - ख

(नियम 6 देखिए)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप)

नागरिक तेल प्रदूषण से क्षति के लिए दायित्व के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाणपत्र

तेल प्रदूषण क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1992 के अनुच्छेद 7 के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया

पोत का नाम	विशिष्ट संख्या या अक्षर	रजिस्ट्री का पत्तन	स्वामी का नाम और पता

यह प्रमाणित किया जाए कि उपर्युक्त नामित पोत के संबंध में नियम 4 या तेल प्रदूषण क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1992 के अनुच्छेद 7 की अपेक्षाओं का समाधान करने वाली बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा की पॉलिसी लागू है।

सुरक्षा का प्रकार …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

सुरक्षा की अवधि …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

बीमाकर्ता (ओं) या प्रत्याभूतिदाता (ओं) का नाम और पता

नाम ………………………………………………………….

पता: …………………………………………………………………………………………

इस प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि:..................... तक है

भारत सरकार द्वारा जारी या प्रमाणित किया गया ……………………

…………………………………………

(राष्ट्र का पूर्ण पदनाम)

(स्थान) ………… … (तारीख) ……………

……………………………………………………

जारी करने या प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप - ग

(नियम 7 देखिए)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन बनाए रखे जाने वाले बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के अनुलिपि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्ररूप)

1. पोत का नाम:
2. विशिष्ट संख्या या अक्षर:
3. रजिस्ट्री का पत्तन:
4. स्वामी या अभिकर्ता का नाम और पता:
5. (i) सकल टन भार:
   (ii) शुद्ध टन भार:
   (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. (क) अनुरक्षित बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा की विशिष्टियां
   (बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
   (ख) विधिमान्यता की अवधि:
   (विधिमान्यता की अवधि दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

7. संदत फीस (रुपये में):
   (फीस के सफल संदाय को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में अंतर्विष्ट विशिष्टियां मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं और नियम 4 में वर्णित बीमा प्रमाण पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में विकृत या नष्ट या अन्यथा खो गया था: -

………

………

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तदनुसार बीमा प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि जारी करें। मुझे स्वामी द्वारा यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है (किसी अभिकर्ता की दशा में)।

स्थान : _________ _________

तारीख : _________ _________

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

- यदि लागू नहीं है तो काट दें
- आवेदन के साथ संलग्न किया जाने वाला विकृत प्रमाणपत्र

[फा. सं. SY-**19014/192/2025-**MG-Part(**2**)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

G.S.R. 611(E).— In exercise of the powers conferred by, sub-sections (1) and (2) of section 195 read with sub-sections (1) and (2) of section 188 and sub-section (2) of section 192 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Civil Liability for Oil Pollution Damage) Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Civil Liability for Oil Pollution Damage) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — Unless otherwise specified, these rules shall apply to, —

(a) every Indian ship, wherever it may be; and

(b) every ship, other than an Indian ship, while it is at any port or place in India, including the coastal waters,

but shall not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by the Government of any State and used for the time being, only for non-commercial purposes.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "civil liability convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, as amended;

(c) "Form" means a Form appended to these rules; and

(d) "tonnage" means the gross tonnage, calculated in accordance with the applicable rules made under the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Compulsory insurance or other financial security. — (1) The owner of every ship carrying more than two thousand tons of oil in bulk as cargo shall in respect of such a ship maintain an insurance or other financial security from an insurer to cover their liability for pollution damage for the amount specified under section 181 of the Act.

(2) The owner of every ship carrying up to two thousand tons of oil in bulk as cargo shall in respect of such a ship maintain an insurance or other financial security to cover their liability for pollution damage for the amount specified under the provisions of the civil liability convention.

(3) Every ship to which sub-rules (1) or (2) apply shall maintain a certificate of insurance or other financial security for an amount not less than the limits of liability specified under section 188 of the Act.

5. Application for issue or renewal of a certificate of insurance or other financial security. — (1) The owner of an Indian ship, who has maintained insurance or other financial security in respect of such ship, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 188 of the Act, shall make an application in Form - A to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department where such ship is registered, for issue or renewal of certificate of insurance or other financial security.

(2) The owner or agent of any ship, other than an Indian ship, registered in a country which is not a party to the civil liability convention, and who has maintained insurance or other financial security in respect of such ship, shall make an application in Form - A to the Director-General for issue or renewal of a certificate of insurance or other financial security, which shall be examined by the Director-General prior to being forwarded to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department for issuance.

(3) Every application under sub-rules (1) and (2) shall contain such particulars as specified in Form - A and be accompanied by documentary evidence regarding maintenance of such insurance or other financial security and a receipt confirming payment of the applicable fee as specified in rule 10.

6. Issuance of certificate of insurance or other financial security. — (1) After receipt of an application under sub-rules (1) or (2) of rule 5, the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department shall, on being satisfied about the maintenance of insurance or other financial security in respect of the ship concerned, issue a certificate of insurance or other financial security as specified in Form - B.

(2) Where the principal officer issues a certificate of insurance or other financial security, the following particulars, where applicable, shall be included in such certificate, namely:—

(a) where the total amount of financial security is furnished by more than one source, the amount provided by each shall be separately indicated;

(b) where the financial security is furnished in several forms, such forms shall be enumerated in the certificate; and

(c) the duration of the financial security which shall specify the period for which such insurance or other financial security is valid.

7. Duplicate certificate. — (1) Where the certificate issued under rule 6 is lost, destroyed, stolen, mutilated, defaced or rendered illegible, the owner or the agent, as the case may be, may apply in Form - C to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department where the original certificate was issued, for issuance of a duplicate certificate on payment of the fee as specified in rule 10.

(2) Where a lost certificate, as specified in sub-rule (1), is subsequently traced or found by the owner or his agent, it shall be returned to the principal officer of the Mercantile Marine Department where such certificate was issued.

(3) The provisions of this rule shall not apply to certificates issued in electronic form.

8. Procedure for issuance of a duplicate certificate. — (1) Where a certificate issued under these rules is lost, destroyed, stolen, mutilated, defaced or rendered illegible, the owner or the agent, as the case may be shall, without delay, report the same in writing to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(2) In the event of the certificate being lost or destroyed or stolen, the owner or the agent shall lodge a complaint or loss report with the nearest police station and shall submit a copy thereof to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(3) Any report furnished under sub-rules (1) or (2), as the case may be, shall clearly state, *inter alia*, the name and particulars of the ship, the type, name and number of the lost certificate, and the circumstances, the date and place of such loss.

(4) In the event of the certificate being defaced, mutilated, or rendered illegible, the original certificate shall be surrendered to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(5) After compliance with sub-rules (1), (2), and (3), the owner or agent of the concerned ship may apply for issuance of a duplicate certificate, along with the fee as specified in rule 10, and such application shall be accompanied with the following documents, namely:—

(a) a copy of the report specified in sub-rules (1) and (2); and

(b) an undertaking to the effect that, in the event the original certificate is subsequently traced or recovered, the same shall be surrendered forthwith to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(6) Where the owner or agent of the concerned ship fails to submit a report under sub-rules (1) or (2), as the case may be, such owner or agent shall remain liable for any misuse, fraudulent representation or improper use of the lost certificate.

(7) A duplicate certificate issued under these rules shall have the same legal force and validity as the original certificate and shall bear an endorsement stating *“Duplicate - Issued in lieu of Original Lost”.*

9. Procedure for enforcement of foreign judgments. — Any judgment, recognised under sub-section (1) of section 192 of the Act, shall be enforceable in India in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 and the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017, as applicable.

10. Fees. — (1) Every application for the issue of a certificate of insurance or other financial security under rule 5 shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 188.

(2) Every application for the renewal of the certificate of insurance or other financial security under rule 5 shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 188.

(3) Every application for a duplicate certificate under rule 7 shall be issued to the owner or agent, as the case may be, on payment of a fee of two thousand rupees.

(4) The fees referred to in this rule may be revised by the Central Government by such amount as may be notified.

11. Units of account. — (1) The units of account referred to in the civil liability convention are the Special Drawing Rights, as defined by the International Monetary Fund.

(2) The units of account shall be converted into Indian rupees according to the official value in rupees of the Special Drawing Right as determined by the Reserve Bank of India on the date of constitution of the fund under section 182 of the Act.

Form - A

(See rule 5)

Form of application for certificate of insurance or other financial security maintained under section 188 of the Merchant Shipping Act, 2025:

8. Name of the ship :

9. Distinctive number or letters :

10. Port of registry :

11. Name of owner or agent and address :

12. (i) Gross Tonnage :
    (ii) Net Tonnage :
    (Attach a photocopy of Certificate of registry)

13. (a) Particulars of Insurance or other financial security maintained :
    (Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security)

    (b) Period of validity :
    (Attach documentary evidence to show period of validity)

14. Fee paid (in Rupees) :
    (Attach documentary evidence to show successful payment of the fee)

I hereby solemnly declare that the particulars given in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I request you to issue Certificate of Insurance or other Financial Security accordingly.

I have been authorised by the owner to make this application *(in case of an agent)*.

Place:…………….

Date:……………. Signature of Applicant
Name:

- *Strike out if not applicable.*
- *Any existing or expired certificate shall be enclosed*

Form - B

(See rule 6)

(Form of certificate to be issued by the principal officer, Mercantile Marine Department under the Merchant Shipping Act, 2025)

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992

Name of ship	Distinctive Number or letters	Port of registry	Name and address of owner

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of rule 4 or Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992.

Type of Security ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Duration of Security …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Name and Address of the Insurer(s) or Guarantor(s)

Name ……………………………………………………

Address: ………………………………………………………………………………………

This certificate is valid until: …………………………………………

Issued or certified by the Government of India ……………………..

…………………………………………………………………………

(Full designation of the State)

At ……………………….. On …………………………...

(Place)…………… (Date)……………

……………………………………………………

Signature and Title of issuing or certifying official

FORM - C

(See rule 7)

(Form of application for a duplicate certificate of insurance or other financial security to be maintained under the Merchant Shipping Act, 2025)

1. Name of ship :

2. Distinctive number or letters :

3. Port of registry :

4. Name of owner or agent and address :

5. (i) Gross Tonnage :

   (ii) Net Tonnage :

   (Attach a photocopy of the certificate of registry)

6. (a) Particulars of insurance or other financial security maintained
   (Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security)

   (b) Period of validity :

   (Attach documentary evidence to show period of validity)

7. Fee paid (in Rupees) :

   (Attach documentary evidence to show successful payment of the fee)

I hereby solemnly declare that the particulars contained in this form are true and correct to the best of my knowledge and that the certificate of insurance described in rule 4 was defaced or destroyed or otherwise lost under the following circumstances:-

……..

……..

I request you to issue a duplicate Certificate of Insurance accordingly. I have been authorised by the owner to make this application (in case of an agent).

Place :……………

Date :…………….

Signature of Applicant
Name :
Address :

- Strike out if not applicable
- Defaced certificate to be attached to the application

[F. No. SY-19014/192/2025-MG-Part(2)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072026-274517
CG-DL-E-15072026-274517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948
No. 552]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 610(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 205 की उपधारा (2), धारा 206 की उपधारा (1) और धारा 209 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 210 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (बंकर तेल प्रदूषण क्षति हेतु सिविल दायित्व) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) प्रत्येक भारतीय पोत पर, चाहे वह कहीं भी स्थित हो; और

(ख) प्रत्येक ऐसे पोत पर, जो भारतीय पोत नहीं है, जब वह भारत के किसी पत्तन या स्थान पर, जिसमें तटीय जलक्षेत्र भी सम्मिलित हैं, स्थित हो,

ये नियम युद्धपोतों, नौसैनिक सहायक पोतों अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या संचालनाधीन अन्य पोतों पर लागू नहीं होंगे, जो उस समय केवल गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो रहे हों।

3. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "बंकर अभिसमय" से यथासंशोधित,बंकर तेल प्रदूषण क्षति हेतु सिविल दायित्व संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 2001 अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है, और

(घ) "टन भार" से अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार परिकलित सकल टन भार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

4. पोत स्वामी के दायित्व की सीमा.—(1) पोत स्वामी और बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति, इन नियमों के अधीन एक या अधिक घटनाओं के संबंध में अपने दायित्व को वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री दावों हेतु दायित्व की सीमा) नियम, 2026 के अनुसार सीमित करने के अधिकारी होंगे।

(2) जहां पोत स्वामी अधिनियम की धारा 200 के उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व को सीमित करने का अधिकारी नहीं है, वहां बीमाकर्ता या अन्य वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति, वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री दावों हेतु दायित्व की सीमा) नियम, 2026 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट दायित्व सीमा का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

5. अनिवार्य बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूति का अनुरक्षण.—प्रत्येक भारतीय पोत का स्वामी, उसके आकार की परवाह किए बिना, और एक हजार टन से अधिक सकल टन भार वाले ऐसे पोत का स्वामी या अभिकर्ता, जो भारतीय पोत नहीं है, इन नियमों के अधीन प्रदूषण क्षति के लिए अपने दायित्व के प्रयोजन के लिए, वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री दावों हेतु दायित्व की सीमा) नियम, 2026 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन, अनिवार्य बीमा संरक्षण अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखेगा।

6. बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूति प्रमाण-पत्र के निर्गमन या रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन.—(1) भारतीय पोत का वह स्वामी, जिसने नियम 5 के अधीन ऐसे पोत के संबंध में बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखी है, बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूति प्रमाण-पत्र के निर्गमन या रजिस्ट्रीकरण हेतु, उस संबंधित समुद्रि वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी को, जहां ऐसा पोत रजिस्ट्रीकृत है, प्ररूप–कमें आवेदन करेगा।

(2) ऐसे किसी पोत का स्वामी या अभिकर्ता, जो भारतीय पोत नहीं है और जो ऐसे देश में रजिस्ट्रीकृत है जो बंकर अभिसमय का पक्षकार नहीं है, और जिसने ऐसे पोत के संबंध में बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखी है, बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूति प्रमाण-पत्र के निर्गमन या रजिस्ट्रीकरण हेतु महानिदेशक को प्ररूप-कमें आवेदन करेगा, जिसका परीक्षण महानिदेशक द्वारा संबंधित समुद्रि वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी को निर्गमन हेतु अग्रेषित किए जाने से पूर्व किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन में ऐसे विवरण सम्मिलित होंगे, जो प्ररूप-कमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, और उसके साथ ऐसे बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूति के अनुरक्षण संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य और नियम 11 में विनिर्दिष्ट लागू फीस के भुगतान की पुष्टि करने वाली रसीद संलग्न होगी।

7. बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना.—(1) नियम 6 के उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित समुद्रि वाणिज्य विभाग का प्रधान अधिकारी, संबंधित पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति के अनुरक्षण के संबंध में संतुष्ट होने पर, प्ररूप-खमें विनिर्दिष्ट बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(2) जहां प्रधान अधिकारी बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाण-पत्र जारी करता है, वहां ऐसे प्रमाण-पत्र में, जहां लागू हो, निम्नलिखित विवरण सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) जहां वित्तीय प्रतिभूति की कुल रकम एक से अधिक स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराई गई हो, वहां प्रत्येक स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई गई रकम पृथक रूप से दर्शाई जाएगी;

(ख) जहां वित्तीय प्रतिभूति अनेक प्ररूपों में उपलब्ध कराई गई हो, वहां उन प्ररूपों का प्रमाण-पत्र में किया जाएगा; और

(ग) वित्तीय प्रतिभूति की अवधि, जिसमें वह अवधि विनिर्दिष्ट होगी जिसके लिए ऐसा बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति विधिमान्य है।

8. प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति.—(1) जहां नियम 7 के अधीन जारी प्रमाण-पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, विकृत हो जाता है अथवा अपठनीय हो जाता है, वहां स्वामी या अभिकर्ता, यथास्थिति, उस समुद्रि वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी को, जहां मूल प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, नियम 11 में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर, प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने हेतु प्ररूप-गमें आवेदन कर सकेगा।

(2) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट खोया हुआ प्रमाण-पत्र बाद में स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा खोज लिया जाता है या प्राप्त हो जाता है, वहां उसे उस समुद्रि वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी को लौटाया जाएगा जहां ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

(3) इस नियम के उपबंध इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए गए प्रमाण-पत्रों पर लागू नहीं होंगे।

9. प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने की प्रक्रिया.—(1) जहां इन नियमों के अधीन जारी प्रमाण-पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, विकृत हो जाता है अथवा अपठनीय हो जाता है, वहां स्वामी या अभिकर्ता, यथास्थिति, बिना विलंब के इसकी लिखित सूचना संबंधित समुद्रि वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी को देगा।

(2) प्रमाण-पत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, स्वामी या अभिकर्ता निकटतम पुलिस थाने में शिकायत या गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराएगा और उसकी प्रति संबंधित समुद्रि वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी भी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, पोत का नाम और विवरण, खोए हुए प्रमाण-पत्र का प्रकार, नाम और संख्या तथा ऐसे नुकसान की परिस्थितियां, तारीख और स्थान स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे।

(4) प्रमाण-पत्र के विकृत, क्षतिग्रस्त या अपठनीय हो जाने की स्थिति में, मूल प्रमाण-पत्र संबंधित समुद्रि वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी को सौपा जाएगा।

(5) उपनियम (1), उपनियम(2) और उपनियम(3) के अनुपालन के पश्चात्, संबंधित पोत का स्वामी या अभिकर्ता नियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस सहित प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने हेतु आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) उपनियम (1) और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति; और

(ख) इस आशय का वचनबद्ध कि यदि मूल प्रमाण-पत्र बाद में खोज लिया जाता है या पुनः प्राप्त हो जाता है, तो उसे तत्काल संबंधित समुद्रि वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी को सौप दिया जाएगा।

(6) जहां संबंधित पोत का स्वामी या अभिकर्ता, यथास्थिति,उपनियम (1) या उपनियम (2)के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां ऐसा स्वामी या अभिकर्ता खोए हुए प्रमाण-पत्र के किसी दुरुपयोग, कपटपूर्ण प्रस्तुतीकरण या अनुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी रहेगा।

(7) इन नियमों के अधीन जारी प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति को मूल प्रमाण-पत्र के समान विधिक बल और विधिमान्यता प्राप्त होगी और उस पर "दूसरी प्रति - मूल खो जाने के स्थान पर जारी" का पृष्ठांकन अंकित होगा।

10. विदेशी निर्णयों की मान्यता की प्रक्रिया.—अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई निर्णय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार भारत में प्रवर्तनीय होगा।

11. फीस.—(1) नियम 4 के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ, धारा 206 के उपबंधों के अनुसार, दस हजार रुपये की फीस संलग्न होगी।

(2) नियम 6 के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति के प्रमाण-पत्र के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ, धारा 206 के उपबंधों के अनुसार, दस हजार रुपये की फीस संलग्न होगी।

(3) नियम 9 के अधीन प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति, यथास्थिति, स्वामी या उसकी ओर से प्राधिकृत अभिकर्ता को दो हजार रुपये की फीस के भुगतान पर जारी की जाएगी।

(4) इस नियम में निर्दिष्ट फीसों का पुनरीक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचित की जाने वाली रकम के अनुसार, किया जा सकेगा।

प्ररूप - क

(नियम 6 देखें)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 204 के अधीन बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय प्रतिभूति जारी करने या नवीकरण करने के लिए आवेदन का प्ररूप

1. पोत का नाम :

2. विशिष्ट संख्या या अक्षर :

3. रजिस्ट्री का पत्तन :

4. स्वामी या अभिकर्ता का नाम और पता :

5. (i) सकल टन भार :
   (ii) शुद्ध टन भार :
   (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की फोटोप्रति संलग्न करें) :

6. (क) अनुरक्षित बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का विवरण :
   (बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूतिहोने के लिए दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)।

   (ख) विधिमान्यता अवधि :
   (विधिमान्यता की अवधिदर्शाने वालादस्तावेजी सबूत स्लग्न करें)

7. फीस (रुपये में) :
   (फीस का सफलतापूर्वक भूगतानदर्शाने वालादस्तावेजी सबूत स्लग्न करें)

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है। मैं आपसे अनुरोध करता/करती हूं कि आप उसी के अनुसार बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाणपत्र जारी करें।

मुझे स्वामी ने यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया है (अभिकर्ता के मामले में)।

स्थान: ....

तारीख: ……………..

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम:)

- अगर लागू न हो तो काट दें।
- कोई भी विद्यमान या समाप्त हो चुका प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

प्ररूप - ख

(नियम 7 देखें)

(समुद्रि वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप)

बंकर तेल प्रदूषण क्षति के लिए सिविल उत्तरदायित्व के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाणपत्र

बंकर तेलप्रदूषण क्षति 2001 के लिए सिविल उत्तरदायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 7 के नियमों के अनुसार जारी किया गया।

पोत का नाम	विशेष संख्या या अक्षर	आईएमओ पोत पहचान संख्या	रजिस्ट्रीकरण का पत्तन	स्वामी का नाम और पता

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर बताए गए पोत के लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति की पॉलिसी लागू है, जो बंकर तेल प्रदूषण क्षति 2001 के लिए सिविल उत्तरदायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 7 की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

प्रतिभूति का प्रकार ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

प्रतिभूति की अवधि ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

बीमाकर्ताओं या प्रतिभूतिकर्ताओं का नाम और पता

नाम …………………………………………………………

पता: ………………………………………………………………………………………

यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित तक विधिमान्य है: ……………………………………………

भारत सरकार द्वारा जारी या प्रमाणित ……………………..

………………………………………………………………………………

(राज्य का पूरा नाम)

…………………….. में…………………………… को

(स्थान) (तारीख)

………………………………………………………

जारी करने वाले या प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप - ग

(नियम 8 देखें)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन बनाए गए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति के प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन का प्ररूप)

1. पोत का नाम :
2. विशिष्ट संख्या या अक्षर :
3. रजिस्ट्रीकरण का पत्तन :
4. स्वामी या अभिकर्ता का नाम और पता :
5. i)सकल टन भार :

   ii)शुद्ध टन भार :

   (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)
6. क) बीमा या दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जानकारी

   (इंश्योरेंस या अन्य वित्तीय प्रतिभूतिका दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)

   ख) विधिमान्यता अवधि :

   (विधिमान्यता का समय दर्शाने वाले दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)

7. भुगतान की गई फीस (रुपये में) :

   (फीस का सफलतापूर्वक भुगतान दर्शाने वाले दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार से सत्य और ठीक है और नियम 6 में बताया गया बीमा प्रमाणपत्र इन हालात में खराब हो गया, नष्ट हो गया या किसी और वजह से खो गया: -

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बीमा प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करें। मुझे स्वामी ने यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया है (अभिकर्ता के मामले में)।

स्थान: ……………

तारीख: ……………।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :

पता:

- अगर लागू न हो तो काट दें ।
- आवेदन के साथ विरूपित प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा ।

[फा. सं. एसवाई-19014/192/2025-एमजी]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

G.S.R. 610(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 210 read with section (2) of 205, sub-section (1) of section 206 and sub-section (2) of section 209 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to, —

(a) every Indian ship, wherever it may be; and

(b) every ship, other than an Indian ship, while it is at any port or place in India, including the coastal waters,

it shall not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by the Government of any State and used for the time being, only for non-commercial purposes.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "bunker convention" means the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001, as amended;

(c) "Form" means a Form appended to these rules; and

(d) "tonnage" means the gross tonnage, calculated in accordance with the applicable rules made under the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Limitation of liability of the ship owner. — (1) The ship owner and the person providing insurance or other financial security shall be entitled to limit his liability under these rules in respect of any one or more incidents in accordance with the Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Rules, 2026.

(2) Where the ship owner is not entitled to limit his liability in accordance with the provisions of section 200 of the Act, the insurer or other person providing financial security may avail himself of such limits of liability as specified in rule 4 of the Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Rules, 2026.

5. Maintenance of compulsory insurance or other financial security. — The owner of an Indian ship, irrespective of its size and the owner or agent of a ship other than an Indian ship having gross tonnage of more than one thousand tons, shall, for the purpose of his liability for pollution damage under these rules, maintain compulsory insurance coverage or such other financial security, subject to such limits as specified in rule 4 of the Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Rules, 2026.

6. Application for issue or renewal of a certificate of insurance or other financial security. — (1) The owner of an Indian ship, who has maintained insurance or other financial security in respect of such ship under rule 5, shall make an application in Form – A to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department where such ship is registered, for issue or renewal of certificate of insurance or other financial security.

(2) The owner or agent of any ship, other than an Indian ship, registered in a country which is not a party to the bunker convention, and who has maintained insurance or other financial security in respect of such ship, shall make an application in Form – A to the Director-General for issue or renewal of a certificate of insurance or other financial security, which shall be examined by the Director-General prior to being forwarded to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department for issuance.

(3) Every application under sub-rules (1) and (2) shall contain such particulars as may be specified in Form – A and be accompanied by documentary evidence regarding maintenance of such insurance or other financial security and a receipt confirming payment of the applicable fee as specified in rule 11.

7. Issuance of certificate of insurance or other financial security. — (1) After receipt of an application under sub-rules (1) and (2) of rule 6, the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department shall, on being satisfied about the maintenance of insurance or other financial security in respect of the ship concerned, issue a certificate of insurance or other financial security as specified in Form – B.

(2) Where the Principal Officer issues a certificate of insurance or other financial security, the following particulars, where applicable, shall be included in such certificate, namely:-

(a) where the total amount of financial security is furnished by more than one source, the amount provided by each shall be separately indicated;

(b) where the financial security is furnished in several forms, such forms shall be enumerated in the certificate; and

(c) the duration of the financial security which shall specify the period for which such insurance or other financial security is valid.

8. Duplicate certificate. — (1) Where the certificate issued under rule 7 is lost, destroyed, stolen, mutilated, defaced or rendered illegible, the owner or the agent, as the case may be, may apply in Form – C to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department, where the original certificate was issued, for issuance of a duplicate certificate on payment of the fee as specified in rule 11.

(2) Where a lost certificate, as specified in sub-rule (1), is subsequently traced or found by the owner or his agent, it shall be returned to the principal officer of the Mercantile Marine Department where such certificate was issued.

(3) The provisions of this rule shall not apply to certificates issued in electronic form.

9. Procedure for issuance of a duplicate certificate. — (1) Where a certificate issued under these rules is lost, destroyed, stolen, mutilated, defaced or rendered illegible, the owner or the agent, as the case may be, shall without delay, report the same in writing to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(2) In the event of the certificate being lost or destroyed or stolen, the owner or the agent shall lodge a complaint or lost report with the nearest police station and shall submit a copy thereof to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(3) Any report furnished under sub-rule (1) or (2), as the case may be, shall clearly state, *inter alia*, the name and particulars of the ship, the type, name and number of the lost certificate and the circumstances, the date and place of such loss.

(4) In the event of the certificate being defaced, mutilated, or rendered illegible, the original certificate shall be surrendered to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(5) After compliance with sub-rules (1), (2), and (3), the owner or agent of the concerned ship may apply for issuance of a duplicate certificate, along with the fee specified under rule 11, and such application shall be accompanied with the following documents, namely:-

(a) a copy of the report specified in sub-rules (1) and (2); and

(b) an undertaking to the effect that, in the event the original certificate is subsequently traced or recovered, the same shall be surrendered forthwith to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(6) Where the owner or agent of the concerned ship fails to submit a report under sub-rule (1) or (2), as the case may be, such owner or agent shall remain liable for any misuse, fraudulent representation, or improper use of the lost certificate.

(7) A duplicate certificate issued under these rules shall have the same legal force and validity as the original certificate and shall bear an endorsement stating *"Duplicate - Issued in lieu of Original Lost"*.

10. Procedure for recognition of foreign judgments. — A judgment, recognised under sub-section (1) of section 209 of the Act, shall be enforceable in India in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 and the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017.

11. Fees. — (1) Every application for the issue of a certificate of insurance or other financial security under rule 4 shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees, in accordance with the provisions of section 206.

(2) Every application for the renewal of the certificate of insurance or other financial security under rule 6 shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees, in accordance with the provisions of section 206.

(3) A duplicate copy of the certificate under rule 9 shall be issued to the owner or the agent authorised on their behalf, as the case may be, on payment of a fee of two thousand rupees.

(4) The fees referred to in this rule may be revised by the Central Government by such amount as may be notified.

Form - A

(See rule 6)

Form of application for issuance or renewal of certificate of insurance or other financial security maintained under section 204 of the Merchant Shipping Act, 2025

1. Name of the ship :

2. Distinctive number or letters :

3. Port of registry :

4. Name of owner or agent and address :

5. (i) Gross Tonnage :
   (ii) Net Tonnage :
   (Attach a photocopy of certificate of registry) :

6. (a) Particulars of Insurance or other financial security maintained :
   (Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security).

   (b) Period of validity
   (Attach documentary evidence to show period of validity)

7. Fee paid (in rupees) :
   (Attach documentary evidence to show successful payment of the fee)

I hereby solemnly declare that the particulars given in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I request you to issue the certificate of insurance or other Financial Security accordingly.

I have been authorised by the owner to make this application (in case of an agent).

Place: ....

Date: ……………..

Signature of Applicant
(Name:)

- *Strike out if not applicable.*
- *Any existing or expired certificate shall be enclosed*

Form - B

(See rule 7)

(Form of certificate to be issued by the principal officer, Mercantile Marine Department)

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001.

Name of ship	Distinctive Number or letters	IMO Ship Identification Number	Port of registry	Name and address of owner

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001.

Type of Security ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Duration of Security ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Name and Address of the Insurers or Guarantors

Name ……………………………………………………

Address: ………………………………………………………………………………………

This certificate is valid until: …………………………………………

Issued or certified by the Government of India ……………………..

…………………………………………………………………………

(Full designation of the State)

At ……………………….. On …………………………...

(Place) (Date)

……………………………………………………

Signature and Title of issuing or certifying official

Form - C

(See rule 8)

(Form of application for a duplicate certificate of insurance or other financial security maintained under the Merchant Shipping Act, 2025)

1. Name of ship :

2. Distinctive number or letters :

3. Port of registry :

4. Name of owner or agent and address :

5. i) Gross Tonnage :

   i) Net Tonnage :

   (Attach a photocopy of the certificate of registry)

6. a) Particulars of insurance or other financial security maintained
   (Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security)

   b) Period of validity :

   (Attach documentary evidence to show period of validity)

7. Fee paid (in rupees) :
   (Attach documentary evidence to show successful payment of the fee)

I hereby solemnly declare that the particulars contained in this form are true and correct to the best of my knowledge and that the certificate of insurance described in rule 6 was defaced or destroyed or otherwise lost under the following circumstances: -

I request you to issue a duplicate certificate of insurance accordingly. I have been authorised by the owner to make this application (in case of an agent).

Place: ……………

Date: …………….

Signature of Applicant
Name :
Address :

- Strike out if not applicable
- Defaced Certificate to be attached to the application

[F. No. SY-19014/192/2025-MG]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA